

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी एल. आर. गुगरवाल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 10/2017 – निगरानी

- |   |      |  |
|---|------|--|
| 1. राधेश्याम पुत्र काशीराम पारीक<br>निवासी हाल वरिष्ठ अध्यापक<br>राजकीय बालिका माध्यमिक<br>विद्यालय, शम्भूगढ तहसील<br>आसीन्द, भीलवाडा | बनाम | 1. श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी गोपाल<br>लाल धोबी निवासी शम्भूगढ<br>तहसील आसीन्द<br>2. ग्राम पंचायत शम्भूगढ पंचायत<br>समिति आसीन्द जरिये सचिव ग्राम<br>पंचायत शम्भूगढ पंचायत समिति<br>आसीन्द<br>3. ग्राम पंचायत शम्भूगढ पंचायत<br>समिति आसीन्द जरिये सरपंच ग्राम<br>पंचायत शम्भूगढ पंचायत समिति<br>आसीन्द तहसील आसीन्द जिला<br>भीलवाडा |
|---|------|--|

—निगराकार

— गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज अधिनियम विरुद्ध आदेश ग्राम पंचायत  
शम्भूगढ पंचायत समिति आसीन्द तहसील आसीन्द जारी पट्टा सं. 31 दिनांक  
11.02.2016 व मिसल सं. 02 सन् 2015-16

उपस्थित –

1. श्री हिम्मत सिंह सोलंकी अधिवक्ता – निगराकार की ओर से
2. श्री मुकेश बापना अधिवक्ता – गैर निगराकार सं. 01 की ओर से

## निर्णय

दिनांक 30.11.2017

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज  
अधिनियम विरुद्ध गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि राजकीय बालिका  
माध्यमिक विद्यालय शम्भूगढ पंचायत समिति आसीन्द की नपती पूर्व भुजा 10 वर्ग फीट,  
पश्चिम भुजा 10 वर्ग फीट, उत्तरी भुजा 15 वर्ग फीट , दक्षिण भुजा 15 वर्ग फीट जिनके  
पडौस पूर्व में बाली व लादू शर्मा, पश्चिम में आम रास्ता, उत्तर में रामा माली व लक्ष्मी लाल  
एवं दक्षिण में आम रास्ता हैं। उक्त विद्यालय को ग्राम पंचायत शम्भूगढ द्वारा प्रशासन गांवों के  
संग अभियान 2013 में पत्रावली सं. 232 के दिनांक 22.01.2013 को विद्यालय के नाम पर  
पट्टा जारी किया गया हैं । विपक्षी सं. 01 ने विपक्षी सं. 02 व 03 से मिलीभगत कर उक्त  
विद्यालय के दक्षिण दिशा की तरफ आम रास्ता दर्शा रखा होने के बावजूद भी विद्यालय के  
आम रास्ते की भूमि का पट्टा सं. 31 दिनांक 11.02.2016 को जारी कर दिया गया जो विधि  
विरुद्ध होने से अपास्त योग्य हैं । गैर निगराकार सं. 01 का मौके पर कोई कब्जा नहीं हैं व  
न ही पुराना गृह बना हुआ हैं । यदि पुराना गृह व कब्जा होता तो तथाकथित पट्टा जारी  
होने से पूर्व विद्यालय के नाम पर पट्टा जारी किया गया , जिसमें गैर निगराकार सं. 01 को  
पडौस के रूप में दर्शित किया जाता । पट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत शम्भूगढ के

सरपंच, सचिव द्वारा नियम 157 , 158 की कोई पालना नहीं की गयी और नियम 159 के तहत पट्टा जारी कर विधि विरुद्ध निर्णय लिया, जो अनाधिकृत होकर निरस्त होने योग्य हैं। अतः निवेदन हैं कि निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाकर, गैर निगराकार सं. 02 व 03 द्वारा गैर निगराकार सं. 01 के पक्ष में जारी पट्टा सं. 31 दिनांक 11.02.2016 व मिसल सं. 02 सन् 2015-16 को निरस्त फरमाया जावे ।

प्रस्तुत निगरानी इस न्यायालय में दिनांक 21.04.2017 को पंजीकृत करते हुये गैर निगराकारान को नोटिस जारी किये गये व ग्राम पंचायत शम्भूगढ पंचायत समिति आसीन्द से पत्रावली तलब की गयी। विपक्षी सं. 01 ने दिनांक 18.09.2017 को जवाब प्रस्तुत किया ।

प्रस्तुत निगरानी में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी ।

निगराकार ने अपनी बहस में निगरानी में प्रस्तुत बिन्दु सं. 1 से लगायत 12 के तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय को ग्राम पंचायत शम्भूगढ द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान 2013 में पत्रावली सं. 232 के दिनांक 22.01.2013 को विद्यालय के नाम पर पट्टा जारी किया गया हैं । विपक्षी सं. 01 ने विपक्षी सं. 02 व 03 से मिलीभगत कर उक्त विद्यालय के दक्षिण दिशा की तरफ आम रास्ता दर्शा रखा होने के बावजूद भी विद्यालय के आम रास्ते की भूमि का पट्टा सं. 31 दिनांक 11.02.2016 को जारी कर दिया गया जो विधि विरुद्ध होने से अपास्त योग्य हैं । गैर निगराकार सं. 01 का मौके पर कोई कब्जा नहीं हैं व न ही पुराना गृह बना हुआ हैं । यदि पुराना गृह व कब्जा होता तो तथाकथित पट्टा जारी होने से पूर्व विद्यालय के नाम पर पट्टा जारी किया गया , जिसमें गैर निगराकार सं. 01 को पड़ौस के रूप में दर्शित किया जाता । पट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत शम्भूगढ के सरपंच, सचिव द्वारा नियम 157 , 158 की कोई पालना नहीं की गयी और नियम 159 के तहत पट्टा जारी कर विधि विरुद्ध निर्णय लिया, जो अनाधिकृत होकर निरस्त होने योग्य हैं। राजकीय बालिका विद्यालय के गेट के सामने एवं सडक के बीच ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी कर दिया हैं जो निरस्त योग्य हैं। गैर निगराकार का पट्टे की भूमि पर 50 वर्षों से कब्जा बताया हैं जो गलत है। विद्यालय के पट्टे में पड़ौसी के रूप में गैर निगराकार का नाम हैं। रिकार्ड का जल जाना ग्राम पंचायत द्वारा गलत बताया गया है। पट्टे पर जो हस्ताक्षर सरपंच के हैं एवं पत्रावली की आर्डर शीट पर किये गये सरपंच के हस्ताक्षर पृथक पृथक एवं भिन्न हैं । फर्जी हस्ताक्षर किये गये । 50 वर्ष का कब्जा पट्टे की भूमि पर गैर निगराकार का बताया जा रहा हैं जो गलत हैं । जबकि गैर निगराकार सं. 01 द्वारा पट्टे की भूमि पर नया निर्माण किया गया। विद्यालय की भूमि के पास गैर निगराकार के पक्ष में पट्टा जारी किया गया हैं, जो विद्यालय की छात्राओं के भविष्य पर विपरीत प्रभाव पडने की संभावना हैं एवं पट्टे की भूमि पर व्यावसायिक उपयोग करने से पट्टा खारिज किया जाये । निवेदन हैं कि निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाकर, गैर निगराकार सं. 02 व 03 द्वारा गैर निगराकार सं. 01 के पक्ष में जारी पट्टा सं. 31 दिनांक 11.02.2016 व मिसल सं. 02 सन् 2015-16 को निरस्त फरमाया जावे ।

गैर निगराकार सं. 01 ने अपनी बहस में बताया कि पंचायतराज अधिनियम 109 के तहत ग्राम पंचायत के विरुद्ध किसी प्रकार का वाद या निगरानी प्रस्तुत करने से पूर्व नोटिस देना होता हैं । निगराकार द्वारा ऐसा कोई नोटिस नहीं देकर न्यायालय में यह निगरानी पेश की , जो माफिक कानूनन प्राईमा फैसी खारिज किये जाने योग्य हैं। सिविल

जज क०ख० न्यायालय आसीन्द में प्रकरण सं. 15/2017 इन्हीं तथ्यों के आधार पर निगराकार के द्वारा वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा एवं आदेशात्मक आज्ञा बाबत् प्रस्तुत किया हुआ है, जिससे उक्त प्रकरण सिविल न्यायालय में विचाराधीन होने से निगरानी निरस्त योग्य है। प्रार्थी निगराकार जुलाई, 2015 में वरिष्ठ अध्यापक, राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय शम्भुगढ में जोईनिंग दी है, जिससे प्रार्थी निगराकार द्वारा इस न्यायालय में निगरानी पेश करने की कोई लोकस स्टेण्डी नहीं होने से यह निगरानी खारिज किये जाने योग्य है। निगरानी बेरून मियाद पेश की है, जिससे भी यह निगरानी खारिज किये जाने योग्य है। गैर निगराकार के द्वारा सही तौर पंचायत की समस्त विधि एवं कर्तव्य का पालन करते हुए आवेदन किया है, जिस पर पंचायत द्वारा सही तौर पटटा जारी किया गया है। ग्राम पंचायत शम्भुगढ द्वारा प्रशासन गांवों की ओर पत्रावली सं. 232 दिनांक 22.01.2013 को विद्यालय के हक में पटटा जारी हुआ है, इसको दस्तावेजी साक्ष्य से साबित करावें। विपक्षी सं. 01 ने अपने पूर्वजों के कच्चे मकान भूखण्ड पर बना उसी जगह पर काबिज हो निवास कर रहे है। जिसमें विपक्षी को ग्राम पंचायत शम्भुगढ को अपनी काबिजशुदा भूमि के पटटे हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालना करते हुए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा मिसल कायम की गई। मिसल कायम करने के पश्चात् पंचायत के द्वारा विधि सम्मत प्रक्रिया का पालन करते हुए सही तौर पटटा जारी किया गया। तत्कालीन सरपंच द्वारा इस आशय का शपथ पत्र दिया गया है। विद्यालय का कोई रास्ता ग्राम पंचायत शम्भुगढ के द्वारा जारी भूखण्ड की तरफ नहीं है। ग्राम पंचायत शम्भुगढ के द्वारा पंचायत अधिनियम की धारा 157,158 की पालना कर विधि अनुसार सही तौर निरीक्षण कर 159 के तहत पटटा जारी किया गया। उक्त निगरानी के संबंध में सिविल न्यायाधीश क०ख० में स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया है जिसके प्रकरण सं. 15/2017 ई.दी. हैं, जिससे यह निगरानी इस न्यायालय में चलने योग्य नहीं है। अतः निवेदन है कि विपक्षी सं. 01 को ग्राम पंचायत शम्भुगढ द्वारा जारी पटटा सं. 31 दिनांक 11.02.2016 व मिसल सं. 02 सन् 2015-16 का पटटा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए विधि सम्मत जारी किया गया है, जिससे निगराकार की निगरानी खारिज किये जाने योग्य है।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। मिसल सं. 02 सन् 2015-16 ग्राम पंचायत शम्भुगढ में श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी गोपाल लाल धोबी निवासी शम्भुगढ के नाम पर 10 बाई 15 वर्गफीट कुल 150 वर्ग फीट का भूखण्ड का बापी पटटा जारी किया। 157 राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 इस प्रकार हैं -

पुराने गृहों का विनियमतीकरण -

1. जहाँ व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा रखते हैं और पटटा जारी किये जाने के इच्छुक हैं वहाँ उन्हें निम्नलिखित प्रभार निक्षिप्त कराने के पश्चात् प्रारूप 23-क में पंचायत द्वारा पटटा जारी किया जा सकेगा।

(i) 300 वर्गगज तक के क्षेत्रफल के लिए 300 वर्गगज अधिकतम क्षेत्रफल के अध्यधीन रहते हुए 25 प्रतिशत संनिर्मित क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हुए संनिर्मित क्षेत्रफल -

(क) इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से पूर्व, पचास वर्षों से अधिक पूर्व में 100/-रु. संनिर्मित पुराने गृहों के लिए ।

(ख) इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती पचास वर्षों के दौरान 200/-रु. संनिर्मित पुराने गृहों के लिए

(ii) उपर्युक्त खण्ड (1) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल के लिए, राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 58 के खण्ड (ख) के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की नयी बाजार दरों का 25 प्रतिशत ।

पंचायत राज सामान्य नियम 157 क व ख में ग्राम पंचायत को अपनी आबादी भूमि में निर्मित पुश्तैनी मकानों का पट्टा जारी करने का अधिकार प्रदत्त है। नियम 157 क के अंतर्गत 50 वर्षों से अधिक पुराने निर्मित मकान के लिये 100/-रु. व नियम 157 ख में 50 वर्षों के दौरान निर्मित मकान के लिये 200/- रु. पट्टा फीस निर्धारित होकर पट्टा जारी करने की नियमों में व्यवस्था दी गयी है । विपक्षी सं. 01 व 02 ने राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय शम्भूगढ़ के दक्षिण दिशा की तरफ आम रास्ता की भूमि पर विपक्षी सं. 01 के नाम पर पुश्तैनी पट्टा सं. 31 दिनांक 11.02.2016 को जारी कर दिया। विद्यालय के पट्टे में पड़ौसी के रूप में गैर निगराकार सं. 01 का नाम नहीं है । मौका निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 06.03.2010 में गैर निगराकार का कब्जा 50 वर्ष तक का होने का अंकन नहीं है। इस प्रकार अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा गैर निगराकार सं. 01 के पक्ष में जारी किया गया पुश्तैनी मकान का पट्टा नियमों में दी गयी व्यवस्थाओं के अनुसार जारी नहीं किया गया । नियम 146 के तहत स्थल निरीक्षण हेतु तीन सदस्यों की कमेटी बनाई गयी । कमेटी द्वारा मौका पर्चा तैयार कर पत्रावली में संलग्न किया गया । मौका निरीक्षण रिपोर्ट में गैर निगराकार सं. 01 का 50 वर्ष की अवधि का अंकन नहीं है, जिससे उक्त नियम 157 ख की उल्लंघना हुयी है। ग्राम पंचायत शम्भूगढ़ द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 145,146,147,148,149 की पालना नहीं की गई है। उपरोक्त विवेचन के अनुसार निगराकार की निगरानी स्वीकार योग्य ठहरती है । सिविल कोर्ट का प्रकरण में स्टे नहीं है। पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज शामिल नहीं है। उपरोक्त विवेचन के अनुसार निगराकार की निगरानी स्वीकार योग्य ठहरती है । अतएव -

### आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम विरुद्ध आदेश ग्राम पंचायत शम्भूगढ़ स्वीकार की जाती है। ग्राम पंचायत शम्भूगढ़ पट्टा सं. 31 दिनांक 11.02.2016 व मिसल सं. 02 सन् 2015-16 को निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति मय तलबिदा रिकार्ड ग्राम पंचायत शम्भूगढ़ पंचायत समिति आसीन्द को प्रेषित किया जावे ।

निर्णय आज दिनांक 30.11.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(एल.आर.गुर्जरवाल)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर,  
भीलवाड़ा